न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहक की हुए
	......मोल्या...... बनाम ......मिश्रा...... मु.नं.– 21/23 किस्म – T-S.	
	30/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से आदेश प्रा. पत्र T.S. लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली पूर्वाकुमार वास्ते आदेश प्रा. पत्र T.S. दिनांक 27.6.25 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) 27.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मुलवाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहक की हुए
	मोल्या बनाम मिश्रा मु.नं.– 21/23 किस्म – T.S.	
	30/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से आदेश प्रा. पत्र पर लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश प्रा. पत्र प.ऊ. दिनांक 27.6.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	27.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। इतलाह के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
21/2023	01.05.2023	27.06.2025

बउनवान

1. भोलाराम पुत्र धनपाल, निवासी खारी की झोपडी, बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. मिश्रीलाल उर्फ मिश्रा पुत्र धनपाल, निवासी खारी की झोपडी, बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. राजू पुत्र खिलाडी मीना, निवासी खारी की झोपडी, बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. सुवालाल पुत्र खिलाडी, निवासी खारी की झोपडी, बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. उप–पंजीयक बैजूपाडा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात खेवट खतौनी संख्या नई 71 पुरानी 50 के खसरा सं. 443 रकबा 0.56 हैक्टे., 451 रकवा 0.65 हैक्टे., 455/566 रकबा 0.14 हैक्टे., 500 रकबा 0.63 हैक्टे., 501 रकबा 0.43 हैक्टे., 503 रकवा 0.17 हैक्टे., 509 रकबा 0.36 हैक्टे., 510 रकबा 0.04 हैक्टे., 600/440 रकवा 0.06 हैक्टे., 602/441 रकबा 0.51 हैक्टे. कुल किता 10, कुल रकबा 3.55 हैक्टे. वाकेग्राम खारी की झोपडी, पटवार हल्का बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवम अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की सामलाती कब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि है। भूमि में प्रार्थी का 1/3 वां हिस्सा है विवादित जिसका अभी तक विधिवत सरस नरस के अनुसार तकास्मा नहीं हुआ है जिसको मौके पर बाहमी तौर बांट रखा है तथा प्रार्थी अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि पर काश्त कर मुफीद होता चला आ रहा है लेकिन भूमि का तकास्मा नहीं होने के कारण आये दिन पक्षकारान में कमती ज्यादा भूमि को लेकर व फसल बोते समय व काटते समय व लगान जमा कराते समय आपस में विवाद हो जाता है। ऐसी सूरत में विवादित आराजीयात का सरस नरस के अनुसार, कब्जे के अनुसार तकासमा किया जाकर प्रार्थी के हिस्से का अलग चक, अलग खाता कायम किया जाकर अलग लगान व किये जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावें। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के मन में अब बदयान्ती हो गयी है तथा वे अब विना भूमि का विधिवत तकास्मा हुये ही भूमि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

443 व 602/441 जो कि सडक के लगती हुयी भूमि है, पर अपना नाजायज जबरिया अतिक्रमण करते हुये पुख्ता निर्माण करके दीगर सख्स को रहन व बय करने पर आमादा है तथा कृषि भूमि को अकृषि तब्दील करने पर आमादा है। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 ने प्रार्थी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा प्रार्थी से आये दिन झगडा फिसाद करते रहते है। दिनांक 25.05.2023 को अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 भूमि खसरा सं. 443, 602/441 पर टैक्टर व जेसीबी मशीन लेकर आ गया और बजरी पत्थर आदि डालने लग गया तथा नींव खोदने लगा तथा कहने लगा कि अब मै प्रार्थी को उसकी भूमि पर काश्त नही करने दूँगा। यदि प्रार्थी भूमि पर आया तो जान से मार देगे। प्रार्थी ने उनसे कहा कि तुम्हारा इस भूमि से कोई लेना देना सम्बन्ध व सरोकार नही है तो प्रार्थी को जान से मारने पर आमादा हो गये तथा बिना तकास्मा हुये ही प्रार्थी के खेतो को रहन करने व बेचान करने की बावत बातचीत करने लगे व भूमि को दिखाने लगे। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को मना किया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि अब हम प्रार्थी के खेतों को बेच कर रहेगे व रहन करके रहेंगे तथा प्रार्थी के खेतो में जबरन कब्जा करके निर्माण करने की धमकी दी कि अब हम भूमि को दीगर लोगों को बेचान करके रहेगे तथा तुम्हे बेदखल करके रहेगे तथा काश्त नहीं करने देगे जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि पहले भूमि का आपसी सहमति के आधार पर तकासमा करवालो, फिर आप अपने हिस्से की पर चाहे तुम निर्माण करो या भूमि को बेचान कर देना या अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग में लेना तो अप्रार्थीगण तकासमा करवाने से भी साफ इंकार हो गये। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पडेंगे जो बाय से बरबादी प्रार्थी होंगे। ऐसी सूरत में सिवाय प्रार्थना पत्र के और कोई चारा नजर नही आया। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 स्वयं या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के व अधिनस्थ कर्मचारियों के विवादित आराजीयात का जब तक विधिवत सरस नरस के अनुसार तकासमा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे, तब तक भूमि खसरा सं. 443 व 602/441 पर किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण करने से, प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने से, प्रार्थी को फसल बोते व काटते समय झगडा फिसाद करने से तथा प्रार्थी की भूमि में उगे हुये पेड पोधो को खोदने से काटने से, किसी दीगर सख्स को रहन बय करने से एव अप्रार्थी सं. 4 विवादित आराजीयात की बाबत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहननामा बयनामा आदि को बहैसियत पंजीयन अधिकारी पंजीयन करने से व अप्रार्थी सं. 5 बहैसियत भूमिधारी राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार तब्दीली करने से पाबंद रहें एवं अप्रार्थीगण विधिवत तकासमा होने तक भूमि मुतदाविया की मौके की व राजस्व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें ।

2. प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध रजिस्टर्ड एडी नोटिस तामिल किये जाने की शर्त पर इस आशय

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम खारी की झोपडी तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 443, 602/441 के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

***212.** व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। विवादित आराजीयात का वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी के अधिकार पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम खारी की झोपडी, पटवार हल्का बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता संख्या 71 के खसरा सं. 443, 602/441 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 01.05.2023 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें एवं उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों को बेचान नहीं करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 27.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)